आर. जी. गुप्ता
अध्यक्ष
विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ● जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक. अध्यक्ष डिस्कॉम्स/एमआईएस/प्रे. 636 जयपुर, दिनांकः 30.09.2014

कार्यालय आदेश – 14/25

वितरण निगमों की प्रगति समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं के मीटर बंद/खराब है। जिसके कारण ऐसे उपभोक्ताओं में असंतोष व्याप्त होता है तथा मीटर बंद होने से विद्युत की खपत का सही आंकलन नही होने के कारण राजस्व की भी हानि संभावित है। इसलिए एनर्जी मीटरों को शीघ्रता से बदलने हेतु सभी संबंधित अधिकारियो को निम्न निर्देश दिये जाते है :-

1 12 माह से अधिक अवधि से खराब/बंद मीटरों को 31 अक्टूबर,14 तक बदल दिया जावे।

2 6 माह से अधिक अवधि से खराब/बंद मीटरों को 30 नवम्बर,14 तक बदल दिया जावे।

3 4 माह से अधिक अवधि से खराब/बंद मीटरों को 31 दिसम्बर,14 तक बदल दिया जावे।

4 इसी प्रकार 2 माह से अधिक अवधि से खराब/बंद सभी मीटरों को 31 जनवरी,15 तक बदल दिया जावे।

5 तद्उपरान्त समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी बंद/खराब मीटर की सूचना बिलिंग साईकिल अथवा उपभोक्ता द्वारा प्राप्त होने पर आगामी बिलिंग साईकिल से पूर्व मीटर बदल दिया जावें ताकि कोई भी मीटर 2 माह से अधिक बंद/खराब स्थिति में न रहे।

6 मीटर बदलने के बाद कनिष्ठ अभियन्ता की निगरानी में ही मीटर के ठीक संचालन को चैक करने के बाद ही पुश फिट मीटर का कवर बंद किया जावे।

7 आगामी समीक्षा बैठकों में उपरोक्त अनुसार बदले गये मीटरों की प्रगति की समीक्षा की जावेगी

8 प्रतिमाह थ्री फेज अथवा सिंगल फेज बंद/खराब मीटरों को बदलने हेतु लम्बित रहने की स्थिति की मॉनीटरिंग बंद रहने की अवधि अनुसार निम्न श्रेणियां में विभाजित कर की जावेगी।

ए – 2 माह से अधिक व 4 माह से कम
बी – 4 माह से अधिक व 6 माह से कम
सी – 6 माह से अधिक व 12 माह से कम
डी – 12 माह से अधिक

9 खराब/बंद मीटरों को 2 माह की अवधि में बदलने हेतु सहायक अभियन्ता से संभागीय मुख्य अभियन्ता तक प्रतिमाह बिलिंग की रिपोर्ट के आधार पर मॉनीटरिंग करेगें एवं प्रति सप्ताह बिलिंग साइकिल की अवधि में शेष रहे बंद मीटरों को बदला जाना सुनिश्चित करेगें।

10 संभागीय मुख्य अभियन्ता उपखण्ड स्तर पर मीटरों की समय पर व्यवस्था हेतु मुख्य अभियन्ता (एमएम) एवं अधीक्षण अभियन्ता (एमएण्डपी) के साथ संपर्क कर मीटरों की उपलब्धता की निगरानी करेगें।

11 सिंगल फेज व थ्री फेज मीटर बदलने में देरी के लिए श्रेणीवार निम्न अधिकारी उत्तरदायी होगे एवं मीटर बदलने के कार्य को शीघ्रता से कराने के लिए व्यक्तिशः कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

ए –2 माह से अधिक के लिए सहायक अभियन्ता व लेखाकार

बी –4 माह से अधिक के लिए अधिशाषी अभियन्ता

सी –6 माह से अधिक के लिए अधीक्षण अभियन्ता व लेखाधिकारी

डी –12 माह से अधिक के लिए संभागीय मुख्य अभियन्ता व वरि.लेखाधिकारी

12 निगम स्तर पर निदेशक (तकनीकी) व निदेशक (वित्त) मीटर बदलने के कार्य की मासिक समीक्षा करेगें।

13 उपरोक्त ए, बी, सी, डी श्रेणीवार मीटर बदलने की स्थिति के अनुरूप ही सभी संबंधित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में आंकलन परिलक्षित होगा।

30/9/2014

(आर.जी.गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी/पीटी),जयपुर अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
3. मुख्य अभियन्ता (एमएम), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम,
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ... को अधिनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशन हेतु।
5. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।

30/9/14

(टी.एस.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (एमआईएस)